

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-4/निदे०-सी०एस०एस०-61-25/07-

153

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 30.3.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को मेधा उन्नयन योजना के तहत कुल रू० 2,22,000.00 लाख (दो लाख बाईस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत।

2- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक योजना बजट मद में शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0218 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3401 छात्रवृत्ति-वजीफा (मॉग संख्या-44) विपत्र कोड P2225012770218 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय है।

3- इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद होंगे।

4- इस योजना के तहत राशि का व्यय केन्द्र सरकार के पत्रांक-11016/13/2006 एस०डी०डी०-01 दिनांक-02.09.2011 के आलोक में किया जायेगा।

5- वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

7- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि के विरुद्ध चयनित छात्र/छात्राओं की सूची एवं व्यय से संबंधित पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध करायेगें।

8- इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

पटना, दिनांक- 30.3.17

ज्ञापांक-44/निदे०-सी०एस०एस०-61-25/07- 153

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/उप सचिव, (प्रभारी बजट शाखा), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया/जिला कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव